(1)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 13 (1X) / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा0म0निति - 119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा ....तेरी.... थाना नं0 ....173.... खाता नं0 ....156....

प्लॉट नं0 ....1834.... रकवा ....0.32.... एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 ....02.... के पृष्ट संख्या ....249.... पर जमाबंदी रैयत ....झारखंड सरकार.... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित ज़ाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक ....15.10.16.... को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची
30.8.16

Scanned with CamScanner

1.18

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तमिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति निर्धारित समय - सीमा के अंदर समर्पित नही किया गया है। उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन का मैने स्वयं स्थल निरीक्षण किया एवं सहमत हूँ। उक्त अभिलेख मौजा ....[illegible].......... थाना नं0 ....173....... खाता नं0 ....156.......... प्लॉट सं0 ....1834.......... रकवा ......0.32.......... एकड़ भूमि के पूर्व रैयत के .... श्री ......भुनेश्वर महतो.......... पिता/पति ......स्व० [illegible].......... साकिम ......[illegible]...... के नाम से नियमितीकरण करने हेतु मूल अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धनबाद के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची।

Scanned with CamScanner